आई.एस.एस.एन. संख्या : 2454–2458
नवरचना NAVRACHNA
www.grefiglobal.org/journals/navrachna2016
वर्ष 2, अंक 1–2, जून–दिसम्बर 2016, पृ. 30–36

बैगा जनजाति में महिलाओं की सामाजिक प्रस्थितिः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

राजा राम सिंह*

प्रत्येक समाज व्यवस्था को अपनी निरंतरता बनाये रखने के लिए यह अनिवार्यता है कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति निर्बाध रुप में पूरित होती रहें, जिसके लिए उसे यह आवश्यक हो जाता है कि अपने सदस्यों में कार्यो का विभाजन उनकी प्रदत्त एवं अर्जित क्षमताओं व योग्यताओं के आध ाार पर करने की व्यवस्था करे (दुर्खीमः2005)। किसी भी समाज का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने सदस्यों कि किस मात्रा में क्षमताओं का दोहन कर पाता है अर्थात श्रम विभाजन किन आधारों पर विभाजन करने की व्यवस्था किया है। समाज को अपनी सामाजिक संरचना के विभिन्न पदों पर विभिन्न सदस्यों को बैठाने तथा विभिन्न पदों के अनुकूल उनसे कार्य लेने के साथ ही उसे अपने सदस्यों में प्रेरणा सम्बन्धी समस्या को दो स्तरों पर सुलझाना पड़ता है। प्रथम– उचित व्यक्यिों में समाज के विभिन्न पदों को प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न करना और दूसरा, जब वे अपने पदों को प्राप्त कर लें तो उनमें पदों से सम्बन्धित कर्तव्यों के पालन करने के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना पड़ता है (डेविसः2005)। प्रत्येक समाज का निर्माण मनुष्यों द्वारा ही होता है, जिसे लिंग के आधार पर हम उसे महिला एवं पुरुष के रुप में जानते व पहचानते हैं। समाज में समाज के सदस्यों की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है। जनसंख्या की निरंतरता, सांस्कशतिक नैसर्गिकता तथा परिवार की गत्यात्मकता में महिला का महत्वपूर्ण योगदान है। शास्त्रीय रुप से किसी समाज में एक समूह की स्थिति क्या है? का विश्लेषण उस समाज (समग्र) द्वारा समूह के सदस्यों को कौन कौन से कार्य प्रदान किया गया (श्रम विभाजन) है, के विश्लेषण से ही समझा जा सकता है। श्रम विभाजन से हमारा तात्पर्य किसी व्यवस्था को निरन्तरता प्रदान करने के लिए उसकी इकाइयों में कार्य के विभाजन की व्यवस्था से है। प्रस्तुत अध्ययन में

*समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर म.प्र.
rajaramsinghrdvv@gmail.com

बैगा समुदाय में महिलाओं–पुरुषों की सापेक्षिक स्थिति क्या है? तथा परिवर्तन की आधुनिक शक्तियों द्वारा उनकी स्थिति किस रुप में प्रभावित हुई है, की विववेचना की गयी है।

I

भारत में प्रस्थिति (tatu) की अवधारणा का अनुप्रयोग समाजवैज्ञानिकों द्वारा भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता रहा है। यह शब्द इतना अधिक सामान्यीकश्त हो गया है कि सामान्य बोलचाल तथा अन्य विज्ञानों द्वारा भी परिवर्तन या प्रभाव की मात्रा के अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा है। ऐसी परिस्थितियां इस पद के अर्थ की अनिश्चितता को प्रतिबिम्बित करती है, जो किसी भी विज्ञान को वैज्ञानिक धरातल पर स्थापित करने व बनाये रखने में सबसे बड़ी बाधा है। मजुमदार व मदान (2004:123) ने प्रस्थिति शब्द का प्रयोग ऐसी भूमिकाओं के अर्थ में किया है जो इन्हें सम्पादित करने वाले व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्रदान करती है। स्थिति शब्द कभी कभी एक व्यक्ति की समाज में सम्पूर्ण स्थिति के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। उस अर्थ में उसकी सभी स्थितियों और उसके व्यक्तिगत गुणों और उपलब्धियों से अर्जित सम्पूर्ण प्रतिष्ठा इस शब्द से ज्ञापित होती है। (जान्सनः1990:20)

सामाजिक पद समाज द्वारा स्वीकश्त अधिकारों एवं कर्तब्यों का संकुल हैं। सामाजिक पद के दो अंग हैं– एक कर्तब्यों (दायित्वों) से आवेष्ठित और दूसरा अधिकारों से आवेष्ठित। सामाजिक पद के इन दो अंगों को हम उसकी भूमिका और उसकी स्थिति कहते हैं। भूमिका कर्तब्यों को ज्ञापित करती है और स्थिति उसके अधिकारों को। एक व्यक्ति सामाजिक पद को तब धारण करता है जबकि सामाजिक प्रणाली में उसके कुछ कर्तब्य (दायित्व) हों। (जान्सन 1990:16) इस सम्बन्ध ा में दो बातें महत्वपूर्ण हैं– प्रथम– भविष्य में किसी स्थिति को सम्भालने के योग्य बनाने की प्रक्रिया शिशुकाल से ही आरम्भ हो जानी चाहिए। शिशुओं का समाजीकरण एक लम्बी एवं कठिन प्रकिया है, जो पूर्णरुप से कभी प्राप्त नहीं होती। द्वितिय– बहुत दिनों तक बच्चे को सांस्कशतिक प्रभाव से अछुता नहीं रखा जा सकता। भविष्य के किसी पद के लिए बच्चे का निर्माण कार्य उस समय तक आरम्भ नहीं हो सकता जब तक बच्चे के पास पहले से ही कोई पद न हो।(किग्सले डेविस 2005:84) इस आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु मानव शिशु को दो आधार पर शिशु को सामाजिक पद प्रदान करता है– प्रथम– सामान्य आधार अथवा शारीरिक आधार जैसे– लिंग, आयु, द्वितिय– विशिष्ट आधार अथवा समूह की सदस्यता के आधार पर, यहां यह कहना प्रासंगिक है कि एक शिशु जन्म के साथ ही समूह का सदस्य बन जाता है। उदाहरणार्थ– जाति, समुदाय, राज्य, नातेदारी, परिवार, गांव इत्यादि की सदस्यता शिशु प्रदत्त रुप में प्राप्त करता है। यद्यपि समाज द्वारा अस्वीकश्त शिशु को भी कुछ सामान्य व विशिष्ट आधारों पर पद प्राप्त होते ही हैं। बढ़ती आयु व अर्जित योग्यता के अनुरुप पदों की संख्या व स्थिति में बशद्धि होती रहती है। प्रत्येक वह समूह जो पद और आफिस से जुड़ा है, उसकी सदस्यता व उससे सम्बन्धित पदों की कुछ अनिवार्य शर्तें, नियम व योग्यता समूह द्वारा निर्धारित होती है तथा उसकी संरचना में अनेक सामाजिक पद स्तरीकश्त विन्यास में अवस्थित होते हैं व उनसे जुड़े दायित्व व अधिकार होते हैं। निर्धारित योग्यता अर्जित करके ही कोई व्यक्ति ऐसे समूहों का सदस्य बनता है एवं पद प्राप्त करता है। समूह व सामाजिक संरचना में आवेष्ठित पद के अधिकार सम्बन्धी पक्ष को हम स्थिति कह सकते हैं।

सामान्यतया समाज के विभिन्न पद आपस में अन्तर्सम्बन्धित अधिकारों तथा कर्तब्यों द्वारा इस प्रकार सम्बद्ध होते हैं कि उनके कार्यात्मक व्यवहार से उद्देश्य की प्राप्ति होती है तथा सामूहिकता को स्थायित्व मिलता है। स्थायित्व प्राप्त करने वाली इन वस्तुओं में स्थितियों की व्यवस्था स्वयं भी सम्मिलित है। मौलिक रुप से स्थिति तो स्थायी रहती है, लेकिन स्थिति ग्रहण करने वाले व्यक्तियों में परिवर्तन होता रहता है। इससे इस बात को बल मिलता है कि अन्तर्सम्बन्धित होने के कारण एक भूमिका का प्रभाव अन्य स्थितियों पर भी अधिकांश या न्युनांश, सकारात्मक या नकारात्मक रुप में पड़ता है। कोई सामाजिक पद एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारण किया जा सकता है, कुछ पद एक समय में केवल एक ही व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि एक ही व्यक्ति कई सामाजिक पद धारण करता है। इन स्थितियों में कोई न कोई एक 'मुख्य स्थिति' होती है जो समूह में व्यक्ति के साथ सर्वाधिक प्रचलित होती है जिसके पदाधिकारी के रुप में व्यक्ति की सर्वाधिक पहचान होती है। स्थितियों की इस समग्रता को स्थिति संकुल की संज्ञा दी जा सकती है। किसी एक सामाजिक पद को धारण करने वाले, चाहे वे किसी भी समूह विशेष के सदस्य हों, एक 'स्थिति समूह' के सदस्य कहे जाते हैं। व्यवस्था द्वारा लैंगिक आधारों में समसंतुलन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पद के साथ कुछ शक्ति और प्रतिष्ठा आरोपित किया जाता है, जो विचारों और मूल्यों द्वारा अनुदेशित होते हैं। अतः किसी समूह या वर्ग की सामाजिक स्थिति का तात्पर्य उस समूह व सामाजिक संरचना में आवेष्ठित पद के अधिकार सम्बन्धी पक्ष से है, जिसके द्वारा श्रम विभाजन (किसी व्यवस्था को निरन्तरता प्रदान करने के लिए उसकी इकाइयों में कार्य विभाजन की व्यवस्था) किया जाता है। तत्कालीन समय में किसी समूह या वर्ग की स्थिति की समझ विकसीत करने के लिए यह आवश्यक है कि उससे सम्बंधित वैधानिक विधान एवं उनका दैनंदिन जीवन में उपयोग को भी संज्ञान में लिया जाय।

।।

जनजातीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति अजनजातीय समाजों के सापेक्ष उच्च रही है। बाह्य लोगों के साथ जनजातीय सम्पर्क, अंग्रेजों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप(सिंहः2013), लोकतंत्रीकरण एवं औद्योगीकरण इत्यादि परिवर्तनकारी शक्तियों ने जनजातीय निर्भरता को नकारात्मक रुप में प्रभावित किया। 1947 के पश्चात भारत का एक राज्य के रुप में पुनर्गठन तथा लोकतंत्रात्मक प्रणाली का अनुपालन हेतु यह आवश्यक था कि राज्य के अंतर्गत रहने वाले रहवासीयों में विषमस्तरीयता को हतोत्साहित किया जाय तथा निचले स्तर पर जीवन यापन करने वाले समुदायों के विकास हेतु अतिरिक्त उपाय किया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सम्पूर्ण जनसंख्या को सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विभाजित किया गया तथा सभी वर्गो के विकास के लिए आरक्षण की व्यवस्था गयी तथा साथ विभिन्न संवैधानिक उपबंध किये गये तथा साथ ही महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य के अवसर प्रदान करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था की गयी, यथा– अनुच्छेद 243 क(3) विभिन्न पंचायत क्षेत्रो को चक्रीय स्वरुप में प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव में कुल सीटों की एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षित की गयी हैं। अनुच्छेद 243 क(4) पंचायत के प्रत्येक स्तर पर कुल संख्या का एक तिहाई कार्यालय मुख्याधिकारी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अनुच्छेद 243 ज(3) विभिन्न नगरसभा क्षेत्रों को चक्रीय स्वरुप में प्रत्येक नगरसभा में प्रत्यक्ष चुनाव में कुल

सीटों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति भी सामिल हैं। अनुच्छेद 243 ज(4) नगरसभा कार्यालय मुख्याधिकारी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण राज्यों के विधानों द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इसके फलस्वरुप महिलाओं को राजनीतिक अभिजन (शर्माः1979) की भूमिका सम्पादन के अवसर में अभिवृद्धि हुई है। इससे महिलाओं की भागीदारी न सिर्फ ग्रामीण नगरीय अन्तःक्रिया की प्रक्रिया (वृजराज चौहानः1990) में हुई अपितु इनकी अन्तःक्रिया परिधि राष्ट्र–राज्य (प्रहलाद मिश्राः29फरवरी से 1मार्च 2008) के केन्द्र (संवैधानिक रूप से वे केन्द्र में आ चुके है) में आने की प्रक्रिया को तीव्र बना रही है, जिसके फलस्वरुप महिलाओं की प्रस्थिति में उर्ध्वमुखी गतिशीलता परिलक्षित होती है।

राव (2002) ने अरुणांचल प्रदेश में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को विश्लेषित किया है तथा कहा कि सन् 1985 के बाद अरुणांचल प्रदेश के महिलाओं की एक बड़ी संख्या मजदूरी के व्यवसायिक क्रियाकलापों में सहभाग करती हैं, साथ ही वे घरेलू भोजन व्यवस्था में भी शामिल हैं। इस प्रकार औसतन वे 12 घण्टे प्रतिदिन कार्य करती हैं तथा वे दोहरे कार्य से जुझ रही हैं। दास गुप्ता (2000) भील जनजाति की महिलाओं में पहचान और संघर्ष को अवलोकित किया जो जीविका के लिए विचलनकारी कार्यो की ओर उन्मुख हो रही हैं। भील समूह में संघर्ष स्पष्ट रुप से परम्परागत जीवन पद्धति का त्याग और व्यवसायिक औद्योगिक स्तर में प्रवेश किया है। यह स्थिति नगरीकरण के प्रभाव को प्रतिबिम्बित करता है। वीना भाषिन (2007) ने भारत की जनजातीय महिलाओं के अध्ययन में पाया कि– धार्मिक दशष्टिकोण से महिलायें अशुद्ध स्वीकार की जाती हैं, उन्हें न हल चलाने और न ही आध्यात्मिक शक्तियों से सीधे अन्तःक्रिया करने की अनुमति होती है, फिर भी जनजातीय क्षेत्र में आर्थिक चक्र और श्रम विभाजन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह आर्थिक भूमिका निःसंदेह महिलाओं की सामाजिक स्थिति से प्रभावित है, उसकी सामाजिक स्वतंत्रता उसके महत्व को रेखांकित करती है। केया पाण्डेय (2011) ने हिमांचल प्रदेश के भरमौर के अध्ययन में पाया कि पर्यावरणीय और वातावरणीय कारकों के अस्तित्व महिलाओं को एक विशेष आर्थिक शक्ति प्रदान किया है तथा महिला की सामाजिक प्रस्थिति और सत्ता पुरुष के समान है। गार्गी दास (2012) ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला के संतोषपुर गांव के अध्ययन में पाया कि– इस क्षेत्र की जनजातीय महिलाओं का घरेलु निर्णय निर्माण में उच्च भूमिका है। वह स्वयं के खर्च दैनिक घरेलु खर्च, स्वजन और सम्बन्धियों से मिलने तथा रोगों के इलाज के लिए स्वतंत्र होकर निर्णय लेती है। वह पुरुष के साथ बराबर निर्णय निर्माण में भूमिका सम्पन्न करती है तथा परिवार स्वनिर्भर बना रहता है, लेकिन वह सामूदायिक स्तर पर निष्क्रिय रहती है। पुतराजा एण्ड ओ.डी. हेगाडे (2012) ने अपने अध्ययन में पाया कि– जनजातीय समाज में महिलायें सामाजिक, सांस्कशतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के तरीकों में महत्वपूर्ण भूमिका सम्पादित कर रही हैं और उन्हें उनके समाज आर्थिक सम्पत्ति माना जाता है, लेकिन वे जीवन के पदयात्रा जैसे– शिक्षा, रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य और आर्थिक शसक्तिकरण के पीछड़ेपन पर स्थिर हैं। एमेनुरप्पा एदकोबा तलवारी एण्ड मनिकम्मा नगिद्रप्पा (2014) ने तत्कालीन सामाजिक आदेश में महिला सशक्तिकरण को रेखांकित करते हुए निष्कर्ष दिया कि औद्योगीकरण एवं उसके परिणामस्वरुप बाजारीकरण ने जनजातीय अर्थव्यवथा को जमींदोज कर दिया, जिसमें महिला महत्वपूर्ण भूमिका सम्पादित करती रही है। जनजातीय महिलायें और बच्चे छोटे जंगली उत्पाद का निर्माण करते हैं। अन्य कार्य जैसे–

फैक्ट्री मजदूर, गश्हस्वामीयों और घरों के निर्माण में कार्य करके परिवार की आय में सहयोग करती है। जनजातीय महिला उचित जीविका और सुंदर जीवन, पर्यावरण अवनयन और बाह्य लोगों के हस्तक्षेप की चुनौती का सामना करती है।

।।।

बैगा जनजाति मध्य भारत में पायी जाने वाली आदिम जनजातियों की श्रेणी में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन्हें मध्यप्रदेश का मूल निवासी माना जाता है। इनकी जनसंख्या मध्यप्रदेश के डिण्डोरी और मंडला में पायी जाती है। बैगा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र डिण्डोरी जिला है, यद्यपि मंडला जिला में भी इनकी जनजसंख्या छितरे हुए स्वरुप में पायी जाती है। बैगा विकास प्राधिकरण द्वारा 2004–2005 में कराये गये सर्वे के अनुसार 220 गांवों में इनकी कुल जनसंख्या 23443 है, जिसमें 11753 पुरुष एवं 11690 महिलाएं हैं।

बैगा जनजाति में श्रम विभाजन लैंगिक आधार पर शारीरिक मानसिक दुर्बलता, प्रजनन और बच्चों के समाजीकरण प्रक्रिया के समानुकूल तथा उन कार्यों में शक्ति और प्रतिष्ठा का आरोपण समसंतुलित स्वरुप में किया गया है तथा साथ ही सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में पुरुष का एकाधिकार है तो कुछ क्षेत्रों में महिला का, जहां सांस्कशतिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में पुरुष को प्रधानता प्रदान की गयी है तो वहीं महिला को विवाह सम्बन्धी एकाधिकार प्राप्त है। बैगा जनजाति में आर्थिक व्यवस्था पशुचारण, आखेटन, कशषि तथा खाद्य संकलन के मिश्रित स्तर पर अभिस्थापित है तथा महिला और पुरुष की प्रस्थिति समान स्तर पर दिखाई देती है। जिसमें पुरुष जंगल में शिकार करने, लकड़ी काटने, ढोने, घर बनाने, हल (नागर) चलाने, बीज बोने, गौशाला की देख रेख, देवी देवताओं की पूजा एवं बलि चढ़ाने का कार्य करता है एवं महिलायें भोजन बनाने, पानी लाने, साफ सफाई, बच्चों का पालन पोषण, जंगल में फल–फूल, साक–सब्जी एकत्र करने का कार्य करती है तथा निराई, गुड़ाई, कटाई और गाहनी (अनाज निकालने) का कार्य दोनों मिलकर करते हैं। वर्तमान समय में महिला और पुरुष दोनों ही साथ साथ ठेके में मजदूरी करने जाते हैं।

सांस्कशतिक व्यवस्था में पुरुषों को महिला के सापेक्ष उच्च स्थिति प्राप्त है, जो पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा द्वारा परिभाषित होती है, जिसमें पुरुष भगवान का गुरु माना जाता है तथा उसे देवता की स्थिति प्राप्त है, इसलिए सभी पवित्र कार्य का शुभारम्भ पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वहीं महिलाओं को पापिन माना जाता हैं, इसलिए ये सेवा का कार्य करती हैं तथा इनके हाथ से किसी शुभ कार्य का आरम्भ नहीं कराया जा सकता है। बैगा जनजाति में जैविक, सामाजिक एवं सांस्कशतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले अधिकांश प्रकार्य भी पवित्रता की अवधारणा से अनुप्राणित होते हैं यथा– शिकार करने जाने के पूर्व बैगा (पुरुष) मसवासी देवता को खड़ा (पुकारते हैं) करते हैं तथा आदेश देते हैं कि तुम धनुष और तीर पर बैठो और शिकार मिल जाना चाहिए। इनकी मान्यता है कि मसवासी देवता ही शिकार को मारता है, इसलिए यह पापकर्म भी नहीं है। महिलाएं शिकार इसलिए नहीं कर सकतीं क्योंकि ये पापिन (अपवित्र) है, इनके बुलाने से मसवासी देवता नहीं आयेगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं को इन कार्यो से वंचीत करने का एक कारण स्त्रियों की शारीरिक कमजोरी, प्रजनन एवं बच्चे का समाजीकरण का कार्य भी है। बैगा महिलाओं को समाज व्यवस्था द्वारा वही कार्य प्रदान किये गये हैं, जो कम श्रम साध्य हों, खतरा न हो और आवास के निकट हो। जिसे वह भली भांति सम्पन्न कर सके तथा इन कार्यो से किसी

भी दशा में समाजीकरण का कार्य नकारात्मक रुप में प्रभावित न हो। वर्तमान समय महिलायें बच्चे को पीठ पर बांधकर कार्य करती है, जिससे समाजीकरण का कार्य भली पूर्वक सम्पन्न हो जाता है। निराई, गुड़ाई तथा गाहनी में अधिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती अर्थात श्रम साध्य का आधार, निकटता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है।

बैगा जनजाति में घर के सबसे अधिक आयु के पुरुष को सयाना तथा महिला को सयानिन का पद प्राप्त होता है तथा घर के अन्दर सभी महत्वपूर्ण निर्णय दोनों मिलकर लेते हैं। सयानिन घरेलू निणर्य में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है एवं घर की अन्य महिलायें सयानिन से निर्देश प्राप्त करती हैं, तो सयाना (पुरुष) परिवार में पुरुषों का तथा अन्य सभी पुरुष इससे निर्देश प्राप्त करते हैं। परिवार में सयाना का निणर्य सर्वमान्य होता है तथा परिवार के बाहर (पंचायत आदि) पुरे परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही महिला पुरुष के कार्यों पर अप्रत्यक्ष रुप में नियंत्रण भी रखती है।

सयाने और सयानिन का पद एकल परिवार के सन्दर्भ में अधिक आयु वाले लोगों को प्राप्त नहीं होती बल्कि इसका प्रमुख मानदण्ड है कि जब तक किसी व्यक्ति के पुत्रों का विवाह नहीं हो जाता तथा उसके प्रपौत्र बड़े नहीं हो जाते, तब तक कोई व्यक्ति सयाना एवं सयानिन का पद प्राप्त नहीं कर सकता। इतना अवश्य है कि परिवार में ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में उस परिवार के सबसे अधिक आयु का पुरुष सयाने का उत्तरदायित्व को निभाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह व्यक्ति सयाने के पद को प्राप्त नहीं करता अपितु मात्र उसे भूमिका सम्पादन का अधिकार अनिवार्य परिस्थिति में प्रदान किया जाता है। बैगा जनजाति में सामान्यतः विवाह के दो से तीन वर्ष पश्चात मूल परिवार से अलग आवास, चुल्हा और व्यवस्था कर लेने का प्रतिमान अभिव्याप्त है, लेकिन इससे सयाना और सयानिन पदों के अर्जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

वैवाहिक व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों के सापेक्ष वरियता प्रदान की गयी है। विवाह में वरपक्ष वधुपक्ष के घर जाता है, जिस पर कन्या विवाह के लिए स्वीकशति देती है तथा वरपक्ष को विवाह के लिए वधुमूल्य चुकाना पड़ता है, साथ ही एक महिला विवाह को कभी भी भंग करने के लिए स्वतंत्रता होती है।

तत्कालीन समयावधि में शिक्षा अर्जन ने जनजातीय महिलाओं की जागरुकता में अभिवशद्धि की है, जिसके फलस्वरुप श्रम विभाजन के गश्ह के निकटता का आधार में ह्रास की दर में अभिवशद्धि हुई है तथा बैगा महिलायें सरकारी गैर सरकारी नौकरियों में सेवा प्रदान करने लगी हैं। राजनैतिक अभिजनों द्वारा संवर्गीय आरक्षण की चेतना अन्तःक्रिया के दौरान जनजातीय महिलाओं की ओर प्रसरित हो रहा है, जिससे चुनाव में महिला सहभागिता की दर में अभिवशद्धि हुई है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बैगा जनजाति में पुरुष और महिला की प्रस्थिति आर्थिक व्यवस्था में समान स्तर पर है, राजनैतिक क्षेत्र में पुरुष परिवार का प्रनिधित्व करता तथा महिला घरेलू निर्णय लेती है, साथ ही अप्रत्यक्षतया वह पुरुष की गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है। सांस्कशतिक जीवन में पुरुष की प्रस्थिति महिला से उच्च है, तो वहीं वैवाहिक सम्बन्धों में महिला को एकाधिकार प्राप्त है। बाह्य दुनिया से सम्पर्क, औद्योगीकरण तथा लोकतंत्रीकरण ने महिलाओं को ग्रामीण नगरीय अन्तःक्रिया की प्रक्रिया में शामिल करने में सहयोग कर रही है,

जिसके माध्यम से बाह्य दुनिया के विचार और मूल्यों के आगमनित होना सुनिश्चित हुआ है, जिससे महिला निर्योग्यता सम्बन्धी परम्परागत मूल्यों में ह्रास दिखाई देता है तथा इनकी प्रस्थिति को पुरुष के सापेक्ष सुदश्ढ़ हो रही हैं।

संदर्भ सूची

एस.एस.शर्मा (1979) रुरल एलिट्स इन इंडिया, न्यु देलही, स्टर्लिंग पब्लिशर्स।

केया पाण्डेय (2011) सोशियो इकोनोमिक स्टेट्स आफ ट्राइबल वुमेनः ए स्टडी आफ ए ट्रांसमुंट गद्दी पापुलेसन आफ भरमौर, हिमांचल प्रदेश, इंडिया, इंटरनेशनल जर्नल आफ सोशियोलाजी एण्ड एंथ्रोपोलाजी, वो. 3(6) पश. 189–198 जून 1911

गार्गी दास (2012) आटोनामी एण्ड डिसिजन मेकिंग रोल आफ ट्राइबल वूमेनः ए केश स्टडी आफ संतोषपुर विलेज इन सुदरगढ़ डिस्ट्रिक आफ उड़िसा, शोध प्रबंध प्रतिवेदन, डिपार्टमेंट आफ ह्युमिनिटिज एण्ड सोशल साइंसेज, नेशनल इंस्टिट्युट आफ टेक्नोलाजी, उड़ीसा।

चौहान, बश्जराज (1990) रुरल अर्बन आर्टिकुलेशन, इटावा, ए.सी. ब्रदर्श।

जान्सन, हेरी. एम. (1990) समाजशास्त्रः एक विधिवत विवेचन, कल्याणी पब्लिशर्स नई दिल्ली।

डेविस, किंग्सले (2005) मानव समाज, किताब महल इलाहाबाद।

दासगुप्ता (2000) ''एथिनीसिटीः आइडेंटिटी एण्ड कान्फ्लिक्ट एमांग ट्राइबल वुमेन लेबररर्स'' जर्नल आफ इण्डियन एन्थ्रोपोलाजीकल सोसायटी, 35ः125–128

डी.पुला राव (जुलाई 2013) सोसिया इकोनोमिक स्टेट्स आफ सेडयुल्ड ट्राइब्स, एम.ई.आर.सी. ग्लोबल्स इंटरनेसनल जर्नल आफ मैनेजमेंट आई.एस.एस.एन. 2321–7278, वो.1, पश.36–50

दुर्खीम, ई0 (1933) द डिविजन आफ लेबर इन सोसायटी, लंदन कोहेन एण्ड वेस्ट।

पुतराजा और ओ.डी. हेगडे (2012) इकोनामिक इम्पावरमेंट आफ ट्राइबल वुमेन इन कर्नाटकाः ए केस स्टडी इन मैसुर एण्ड चमाराजंगरा डिस्ट्रीक, कमलाराज स्टड. ट्राइब्स ट्राइबल्स, 10(2) पश. 173–181

मजूमदार, डी. एन. और मदान, टी. एन. (2004) सामाजिक मानवषाश्त्र परिचय, मयुर पेपरबैक्स नोएडा।

मिश्रा, प्रहलाद (29फरवरी से 1मार्च 2008) इमिग्रेसन एण्ड मोविलिटी इन ए विलेज आफ इस्टर्न उ. प्र., शोध पत्र, इन्टेन्सिव विलेज स्टडी, गोविन्द बल्लभ पन्त इन्स्टीट्युट आफ सोशल साइंसेज इलाहाबाद।

यमोनरप्पा एनकोबा तलवारी और मनिकम्मा नगिद्रप्पा(सिप्तम्बर 2014) क्रिटिकल एसेसमेंट आफ द सेडयुल्ड ट्राइब वुमेन इम्पावरमेंट इन प्रजेंट सोशल आर्डर, रिव्यु आफ लिटरेचर, आई.एस.एस.एन. 2347–2723, वो.2, पश.1–10

योगेन्द्र सिंह (2006) भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, रावत पब्लिकेशन जयपुर।

वीना भाषिन 2007 स्टेट्स आफ ट्राइबल वूमेन इन इंडिया, कमला राज, 1(1) 1–16

बेली, एफ.जी. (1960) ट्राइब्स–कास्ट एण्ड नेषनः ए स्टडी आफ पोलिटिकल एक्टिविटी एण्ड पोलिटिकल चेंज इन हाईलैण्ड उड़ीसा, मैनचेस्टरः मैनचेस्टर युनिवर्सिटी प्रेस।